वेव उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड।

बनाम

उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य।

(2022 की सिविल अपील संख्या 9272)

/

15 दिसंबर, 2022

[के**.** एम**.** जोसेफ और हृषिकेश रॉय**,** जे**.** जे**.]**

देयता-यू. पी. स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड-सेलर (यू. पी. एस. एस. सी. एल.) और अपीलकर्ता-खरीदार के बीच अमरोहा चीनी मिल को नुकसान पहुँचाने वाले यू. पी. एस. एस. सी. एल. के लिए दिनांक 17.07.2010 का मंदी बिक्री समझौता, जिसके बाद एक बिक्री विलेख किया गया था-विक्रेता या खरीदार द्वारा भुगतान किए जाने वाले शुल्क, जुर्माना और ब्याज के बकाया दायित्व के कारण विवाद उत्पन्न हुआ-बिक्री से पहले की तारीखों पर होने वाले लेनदेन से उत्पन्न होने वाले बकाया, यदि आकस्मिक या सशर्त दायित्व या एक उपार्जित दायित्व जिसकी गणना बाद की तारीख में की जा सकती है या निर्वहन किया जा सकता है-आयोजित:इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अमरोहा इकाई के लिए प्रश्न शुल्क के प्रति दायित्व मंदी बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पहले की अवधि के लिए व्यावसायिक लेनदेन के संबंध में है-अमरोहा इकाई के लिए व्यावसायिक दायित्व अपीलार्थी को बेचे जाने से पहले की अवधि के दौरान इकाई के संचालन से उत्पन्न हुआ था, हालांकि दायित्व की मात्रा निर्धारित की जानी है और भविष्य की तारीख में आक्षेपित जाना है-जब दायित्व उचित निश्चितता के साथ अनुमान लगाने में सक्षम है, तो दायित्व को आकस्मिक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और इसे एक दायित्व के रूप में माना जाना चाहिए जिसे भविष्य की तारीख में आक्षेपित जा सकता है-इस प्रकार, प्रश्न में दायित्व एक आकस्मिक नहीं है, इसे उस खरीदार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है जो पहले इकाई का संचालन नहीं कर रहा था।

/

/

/

/

/

/

1130 ए.

1131

वेव उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य।

अभिनिर्धारित किया कि बिक्री समझौते से पहले किए गए लेन-देन के लिए देनदारियों को खरीदार द्वारा वहन किया जाना है, अलग रखा गया है।

अपीलों का निपटारा करते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया कि:**1.1** इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अमरोहा इकाई के लिए प्रश्न शुल्क के प्रति देयता मंदी बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पहले की अवधि के लिए व्यावसायिक लेनदेन के संबंध में है।इसके अलावा यू. पी. एस. एस. सी. एल. के नाम पर कर अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन आदेश और वसूली उद्धरण जारी किए गए हैं। अमरोहा इकाई के लिए व्यावसायिक देयता निश्चित रूप से अपीलार्थी को बेचे जाने से पहले की अवधि के दौरान इकाई के संचालन से उत्पन्न हुई थी, हालांकि देयता की मात्रा निर्धारित की जानी है और भविष्य की तारीख में उसका निर्वहन किया जाना है।जब देयता उचित निश्चितता के साथ अनुमानित होने में सक्षम होती है, तो देयता को आकस्मिक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और इसे एक दायित्व के रूप में माना जाना चाहिए जिसे भविष्य की तारीख में निर्वहन किया जा सकता है।विधि में ऐसी स्थिति होने के कारण और प्रश्न देयता आकस्मिक नहीं होने के कारण, इसे उस खरीदार पर नहीं लगाया जा सकता है जो दिनांक **17.7.2010** के मंदी बिक्री समझौते से पहले इकाई का संचालन नहीं कर रहा था।बिक्री विलेख के खंड **9** के साथ पठित मंदी बिक्री समझौते के खंड **12.1** और **12.2** में, इकाई के संचालन और गतिविधियों के लिए खरीदार का दायित्व हस्ताक्षर की तारीख के बाद ही उत्पन्न हुआ।यह सुझाव देगा कि **17.7.2010 (**हस्ताक्षर करने की तारीख**)** तक की अवधि में इकाई की गतिविधियों और संचालन से संबंधित बकाया, यूपीएसएससीएल की देनदारियां थीं, जबकि **17.7.2010** के बाद की अवधि के लिए इकाई की गतिविधियों और संचालन से संबंधित बकाया, खरीदार की जिम्मेदारी थी।अतः मंदी बिक्री समझौते के खंड **12.1** और **12.2** के साथ पठित बिक्री विलेख के खंड **9** में किए गए स्पष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, **17.7.2010** से पूर्व की अवधि के लिए इकाई की गतिविधियों और संचालन से संबंधित बकाया के लिए खरीदार का दायित्व अपीलार्थी पर निर्धारित नहीं किया जा सकता था क्योंकि दोनों प्रकृति में विशिष्ट हैं।इसी संदर्भ में, खंड **2.6,** जो इकाई के संबंध में लंबित आकस्मिक देनदारियों और कानूनी मामलों की बात करता है,

खरीदार पर लगाया जाना है और विक्रेता को इस तरह के दायित्व से मुक्त किया जाना है, मंदी बिक्री समझौते के खंड **2.6** के अंतर्गत प्रदान की गई सामान्य शर्तें हैं और यह न्यायालय उनसे प्रभावित नहीं है।में उल्लिखित विशिष्ट स्थितियों में विरोधाभास होने के कारण

/

/

/

/

/

/

/

1132 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 16 एस. सी. आर.

/

मंदी बिक्री समझौता।ऐसी परिस्थितियों में, बिक्री विलेख का खंड **9** विशिष्ट होने के कारण पक्षों को नियंत्रित करेगा और मंदी बिक्री समझौते में निहित किसी भी विपरीत चीज़ को ओवरराइड करेगा।**[**पारस **15,17** और **18] [1138-**ई**; 1139-**बी-जी**]**

1.2 देय राशि के संबंध में देनदारियों के वितरण के संबंध में विशिष्ट और विस्तृत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जिसमें समझौते की तारीख तक लेनदेन के संबंध में शुल्क विक्रेता यानी यूपीएसएससीएल द्वारा वहन किया जाना है और खरीदार को केवल बिक्री के बाद के लेनदेन के संबंध में बकाया राशि के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, यह देखा गया है कि **1.11.2017** दिनांकित आक्षेपित आदेश में गलती से कहा गया है कि बिक्री समझौते से पहले किए गए लेनदेन के लिए देनदारियों को खरीदार द्वारा वहन किया जाना है।इसके अलावा, **17.7.2010** से पहले, अपीलकर्ता न तो व्यापारी था और न ही निर्माता और इसलिए, अमरोहा इकाई के संचालन के लिए संतुष्ट करने के लिए कोई कर या शुल्क दायित्व नहीं था। यह उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड है जिसने राज्य सरकार की ओर से अपने ग्राहक से सभी देय राशि एकत्र की थी और वे एकत्रित राशि को सरकारी खजाने अंतर्गत जमा करने के लिए बाध्य हैं।पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न दायित्व, आकस्मिक दायित्व नहीं होने के कारण, अपीलार्थी के कंधों पर नहीं लगाया जा सकता है।आक्षेपित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है।**[**पारस **19,20] [1139-**जी**-**एच**; 1140-**ए**-**बी, डी**]**

/

/

/

/

भारत अर्थ मूवर्स बनाम आयकर आयुक्त,

कर्नाटक (2000) 6 एससीसी 645:[2000] 2 पूरक।एस. सी. आर. 295-निर्भर।

संदर्भित निर्णय

/

[2000] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 295** पैरा **16** पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 9272।

2016 के डब्ल्यू. पी. (एम/बी) No.20032 में लखनऊ पीठ में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 01.11.2017 से।

/

सह

2022 की सिविल अपील संख्या 9273,9274 और 9275।

/

1133

वेव उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य

/

टी. श्रीनिवास मूर्ति, सेंथिल जगदीशन, आनंद के., सुश्री निशिता जगतिया, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

बलबीर सिंह, ए. एस. जी., अर्धनधुमौली कुमार प्रसाद, ए. ए. जी., सुश्री रुक्मिणी बोबडे, सैयद अब्दुल हसीब, अदित खुराना, सुश्री प्रियंका दास, मुकेश कुमार मरोरिया, रोहित के. सिंह, प्रीतम विश्वास, किस्ले झा, सुश्री रुचि गुप्ता, समर्थ श्रीवास्तव, सुश्री श्रेया श्रीवास्तव, अमन सिंह भदौरिया, सुश्री अनन्या साहू, भक्ति वर्धन सिंह, प्रदीप मिश्रा, दिलीप ध्यानी, मनोज कुमार शर्मा, सूरज सिंह, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

ऋषिकेश रॉय, जे।

अनुमति दी गई।

2. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री टी. श्रीनिवास मूर्ति को सुना।प्रतिवादी-राज्य की ओर से पेश होने वाले भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बलबीर सिंह को भी सुना।संक्षिप्त में "यूपीएसएससीएल" के लिए उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम (प्रतिवादी संख्या 2) का प्रतिनिधित्व विद्वान वकील श्री प्रदीप मिश्रा द्वारा किया जाता है।

/

3. सुविधा के लिए, हम इस निर्णय के उद्देश्य के लिए 2018 की एसएलपी (सी) संख्या 3525 के तथ्यों को लेंगेः-

अपीलार्थी उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता थे जो दिनांकित 7.6.2016 के आदेश को चुनौती देने में असफल रहे, जिसके तहत रु. 2,14,169-शुल्क, रु. 2,41,169-जुर्माना, और रु. 1,40,459-ब्याज, रु. 5,68,797-को मेसर्स वेव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वहन किए जाने की घोषणा की गई है। (खरीदार) और विक्रेता द्वारा नहीं अर्थात। "यूपीएसएससीएल"।

/

/

4. यह अपील अमरोहा चीनी मिल से संबंधित है जो यू. पी. एस. एस. सी. एल. के स्वामित्व और संचालन वाली चार घाटे में चलने वाली चीनी मिलों में से एक थी। अमरोहा में इकाई के लिए, यू. पी. एस. एस. सी. एल. और अपीलार्थी के बीच दिनांक 17.7.2010 का एक मंदी बिक्री समझौता किया गया था, जिसके बाद दिनांक 4.10.2010 का बिक्री विलेख किया गया था।

/

5. उपरोक्त व्यवस्थाओं से पहले समाचार पत्र में यू. पी. एस. एस. सी. एल. की घाटे में चल रही चीनी मिलों की घटती बिक्री का प्रस्ताव करते हुए 29.6.2009 का विज्ञापन दिया गया था। इसके बाद आई. डी. 1 पर संभावित खरीदारों के साथ एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बिक्री पर इकाइयों के खिलाफ बकाया देनदारियों पर चिंता जताई गई।अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया

/

1134

/

/

रुपये के लिए बोली। अमरोहा इकाई के लिए ₹1 करोड़ और दिनांक ₹2 के मंदी बिक्री समझौते के खंड 12 के अनुसार, उक्त खंड में निर्दिष्ट सभी देनदारियां, जो समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पहले उपार्जित होती हैं, विक्रेता द्वारा वहन की जानी थीं और बाद की अवधि की देनदारियां खरीदार द्वारा वहन की जानी थीं।बिक्री समझौता तदनुसार 9.8.2010 पर पंजीकृत किया गया था और अमरोहा इकाई का कब्जा अपीलार्थी द्वारा 17.8.2010 पर ले लिया गया था और तब से अपीलार्थी इकाई का प्रबंधन कर रहा है।मंदी बिक्री समझौते के बाद, औपचारिक बिक्री विलेख का निष्पादन आईडी1 पर किया गया था और इसके खंड 9 में यह स्पष्ट किया गया था कि विक्रेता हस्ताक्षर की तारीख तक इकाई से संबंधित सभी आकलन, किराए, दरों, करों, बहिर्गमन और किसी भी प्रकृति के अधिरोपण को वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके बाद ये खरीदार का दायित्व होगा।यहाँ विवाद अवैतनिक शुल्क, जुर्माना और ब्याज के दायित्व से संबंधित है।जब संबंधित विभागों द्वारा 17.7.2010 से पहले की अवधि से संबंधित वसूली की कार्यवाही शुरू की गई थी, तो अपीलकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की और 2013 की उक्त रिट याचिका No.2587 (M/B) को उच्च न्यायालय द्वारा 22.3.2013 पर निपटाया गया, जिसमें राज्य सरकार को खरीदारों की सुनवाई करने और उनके प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।6. अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निपटान 7.6.2016 पर यह घोषणा करते हुए किया गया कि अमरोहा में चीनी इकाई के संबंध में 30.11.2011 तक बकाया देनदारियों के लिए खरीदार उत्तरदायी है।जुर्माने और ब्याज के साथ देय शुल्क की मात्रा रु. 5,68,797 निर्धारित की गई थी-और इस अपील में तय किया जाने वाला मुद्दा यह है कि क्या उन बकाया देनदारियों का भुगतान विक्रेता या खरीदार द्वारा किया जाना है।

/

/

/

/

7. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मंदी बिक्री समझौते दिनांक 17.7.2010 में कुछ परिभाषित शर्तों पर ध्यान देना उचित होगाः

/

"कुछ देनदारियाँः

कुछ देनदारियों का अर्थ इकाई के संबंध में ऐसी देनदारियों, ऋणों और अन्य दायित्वों से होगा, जिसमें बहिष्कृत देनदारियों को छोड़कर इकाई की आकस्मिक देनदारियां शामिल हैं।

/

वर्तमान देनदारियाँः

B. सांविधिक देय (vi) आयकर (vii) बिक्री कर/वैट A

/

1135

वेव उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य [ऋषिकेश रॉय, जे।] ए.

(viii) प्रवेश कर

((ix) खरीद कर सहित अन्य देय।

बहिष्कृत देनदारियाँः

“बहिष्कृत देनदारियों का अर्थ होगा हस्ताक्षर करने की तारीख तक दावा की गई देनदारियां जिन्हें विक्रेता द्वारा बनाए रखा जा रहा है/निपटाया जा रहा है।

/

व्याख्याःइस परिभाषा के प्रयोजनों के लिए उपार्जित लेकिन लावारिस देनदारियों का विक्रेता द्वारा निपटान या रखरखाव नहीं किया जाएगा, लेकिन वे खरीदार को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।देनदारियाँःदेनदारियों का अर्थ होगा कंपनी द्वारा उधार लिए जाने के कारण सभी देनदारियां, और अन्य सभी देनदारियां, चाहे इकाई के संबंध में निर्धारित या अप्रमाणित, आकस्मिक और विवादित, तीसरे पक्ष द्वारा या देय कोई भी दावा, और श्रम, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर दावे आदि।

/

हस्ताक्षर करने की तारीखः

/

हस्ताक्षर करने की तारीख का अर्थ होगा इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख।

खरीद मूल्यः

क्रय मूल्य का अर्थ होगा बोली राशि के साथ-साथ शुद्ध कार्यशील पूंजी समायोजन और इस समझौते के खंड 3 में उल्लिखित अन्य सभी राशि।

/

करः

करों का अर्थ होगा सभी और कोई भी वैधानिक या अन्य सरकारी शुल्क, कर शुल्क, उपकर, जुर्माना, दरें, स्टाम्प शुल्क और इकाई की बिक्री से संबंधित या उससे संबंधित अन्य बकाया, जिसमें बिक्री कर, आयकर, पंजीकरण शुल्क आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

/

बोली राशि बोली राशि का अर्थ होगा कि रु। 17.01 करोड़ (केवल सत्रह करोड़ एक लाख रुपये) जैसा कि खरीदार ने वित्तीय प्रस्ताव (आर. एफ. पी. आवेदन) में उल्लेख किया है।8. खंड 2 में यह प्रावधान किया गया है कि इकाई को एक चालू संस्था के रूप में बेचा जा रहा है और इकाई में विक्रेता के सभी अधिकार, स्वामित्व और ब्याज के साथ-साथ बहिष्कृत देनदारियों को छोड़कर सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को विक्रेता द्वारा हस्तांतरित किया जाना है और खरीदार को वितरित किया जाना है।खंड 2 निम्नानुसार हैः-

/

/

" 2.1 खरीदार द्वारा विक्रेता को भुगतान किए जाने वाले खरीद मूल्य को ध्यान में रखते हुए और इस समझौते के प्रावधानों के अधीन, समापन तिथि पर, विक्रेता हस्तांतरण करेगा और खरीदार को वितरित करेगा और खरीदार विक्रेता से खरीद, अधिग्रहण और स्वीकार करेगा, ठीक है, इकाई में और इकाई में विक्रेता का स्वामित्व और ब्याज, सभी संपत्तियों और देनदारियों के साथ, बहिष्कृत देनदारियों को छोड़कर, एक चालू चिंता के रूप में जहां "सामूहिक रूप से" ("इकाई") आधार है।

/

9. खंड 2.6 आकस्मिक देनदारियों के हस्तांतरण की बात करता है और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सभी आकस्मिक देनदारियों और कानूनी मामलों को विक्रेता द्वारा खरीदार को हस्तांतरित किया जाएगा और हस्ताक्षर करने की तारीख से ऐसी आकस्मिक देनदारियों के संबंध में खरीदार पूरी तरह से उत्तरदायी है और विक्रेता की इस संबंध में कोई देनदारियां नहीं होंगी।खंड 2.6 निम्नानुसार हैः- " 2.6 एतद्द्वारा पक्षों के बीच यह सहमति बनी है कि इकाई के संबंध में लंबित सभी आकस्मिक देनदारियों और कानूनी मामलों को विक्रेता द्वारा खरीदार को हस्तांतरित किया जाएगा और हस्ताक्षर करने की तारीख से ऐसी आकस्मिक देनदारियों के संबंध में खरीदार पूरी तरह से उत्तरदायी है और विक्रेता की इस संबंध में कोई भी देनदारी नहीं होगी।

/

/

10. खंड 12 करों और स्टाम्प शुल्क के भुगतान की बात करता है और यह कहा गया है कि हस्ताक्षर करने की तारीख के बाद खरीदार हस्ताक्षर करने की तारीख के बाद इकाई के संचालन और गतिविधियों के संबंध में सभी दायित्वों या देनदारियों के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा।खंड 12 के निम्नलिखित उपखंड प्रासंगिक होने के कारण निकाले गए हैंः-

/

" 12.1 खरीदार हस्ताक्षर की तारीख के बाद की अवधि से संबंधित इकाई के संचालन और गतिविधियों से संबंधित या संबंधित किसी भी प्रकृति के सभी आकलनों, किराए, करों, बहिर्गामी और अधिरोपणों को वहन करेगा, भुगतान करेगा और उनका निर्वहन करेगा।खरीदार हस्ताक्षर की तारीख के बाद विक्रेता की इकाई के संचालन और गतिविधियों से या उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी दायित्वों या देनदारियों के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा।

/

/

12.2 खरीदार हस्ताक्षर की तारीख के बाद के संचालन और गतिविधियों से संबंधित या संबंधित किसी भी प्रकृति की सभी देनदारियों, दायित्वों, आकलन, किराए, दरों, करों, खर्चों और अधिरोपणों का वहन, भुगतान और निर्वहन करेगा।

/

/

12.3 सिवाय इसके कि इसमें अन्यथा प्रावधान किया गया है, खरीदार इकाई के हस्तांतरण पर या उसके संबंध में स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और बिक्री कर या किसी अन्य लागू कर, यदि कोई देय हो, का वहन करेगा और उसका भुगतान करेगा।

12.4 पूंजीगत लाभ कर, यदि इस समझौते के अंतर्गत विचार किए गए हस्तांतरण के संबंध में कोई देय है, तो विक्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। "

/

11. बिक्री विलेख को 4.10.2010 पर निष्पादित किया गया था, जिसमें कुल रु। 13.94 करोड़ और 17.7.2010 दिनांकित समझौते को बिक्री विलेख का हिस्सा बनाया गया था।बिक्री विलेख का खंड 8 (घ) इस प्रकार हैः-

/

“8(घ) इकाई/भूमि के संबंध में सभी कर, शुल्क, उपकर या कोई भी शुल्क, चाहे वह किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा लगाया गया हो, जैसे कि नगरपालिका या संपत्ति कर जो समझौते की तारीख ("हस्ताक्षर करने की तारीख") तक देय है, विक्रेता द्वारा पूरा भुगतान कर दिया गया है।

/

बिक्री विलेख का खंड 9 आगे इस प्रकार हैः- “9. विक्रेता हस्ताक्षर की तारीख तक इकाई से संबंधित या उससे संबंधित सभी निर्धारिणों, किराए, दरों, करों को वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके बाद वही खरीदार का दायित्व होगा।12. दिनांक 7.6.2016 के बोलने वाले आदेश में, अपीलार्थी के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया था और अमरोहा इकाई की खरीद की तारीख से पहले की अवधि के लिए शुल्क, ब्याज और जुर्माने का दायित्व अपीलार्थी पर लगाया गया है।यह मंदी बिक्री समझौते के खंड 2.6 पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि इकाई के संबंध में लंबित सभी आकस्मिक देनदारियों और कानूनी मामलों को यूपीएसएससीएल द्वारा खरीदार को हस्तांतरित किया जाएगा और खरीदार के रूप में अपीलकर्ता हस्ताक्षर की तारीख को या उसके बाद आकस्मिक देनदारियों के संबंध में पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

/

/

13. दिनांक 1 के बोलने वाले आदेश के लिए अपीलार्थी की चुनौती को अस्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने समझौते के खंड 2 पर भरोसा किया और "उक्त खंड में बहिष्कृत देनदारियों को छोड़कर" अभिव्यक्ति पर जोर दिया और कहा कि इसका अर्थ है हस्ताक्षर करने की तारीख तक दावा की गई देनदारियां जो विक्रेता द्वारा बरकरार रखी जाती हैं या निपटाई जाती हैं और क्योंकि कर देनदारियों को "बहिष्कृत देनदारियों" का हिस्सा नहीं दिखाया जाता है और चूंकि खंड 4 इकाई के संबंध में सभी आकस्मिक देनदारियों और कानूनी मामलों के हस्तांतरण का प्रावधान करता है।

/

/

खरीदार के लिए, हस्ताक्षर की तारीख के बाद ऐसी आकस्मिक देनदारियों की वसूली केवल खरीदार से होगी न कि विक्रेता से।इस प्रकार बोलने वाले आदेश के लिए अपीलार्थी की चुनौती

को अस्वीकार कर दिया गया और बोलने वाले आदेश को बरकरार रखते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया गया जिसमें कहा गया था कि विवादित देनदारियों को खरीदार द्वारा वहन किया जाना है।

14. यहाँ जिन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है वे हैं (1) क्या अधिग्रहण की तारीख से पहले चीनी इकाई के संचालन और गतिविधियों से उत्पन्न बकाया विक्रेता द्वारा वहन किया जाना है और क्या बिक्री से पहले की तारीखों पर होने वाले लेनदेन से उत्पन्न होने वाले बकाया को आकस्मिक या सशर्त दायित्व के रूप में वर्णित किया जा सकता है या क्या यह एक उपार्जित दायित्व है जिसकी गणना या निर्वहन बाद की तारीख में किया जा सकता है; (2) क्या चीनी मिल के खरीदार को एक व्यापारी या सेवा प्रदाता के रूप में देय राशि के निर्वहन के लिए उत्तरदायी इकाई के रूप में माना जा सकता है, भले ही वे एक व्यापारी या सेवा प्रदाता के रूप में कार्य नहीं न्यायालय रहे थे या अन्यथा एक इकाई के रूप में जिस पर दायित्व निर्धारित किया जा सकता था; (3) क्या बोलने का आदेश आक्षेपित है, हितों के टन्यायालय ाव के कारण, एक

/

/

/

15. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अमरोहा इकाई के लिए प्रश्न शुल्क के प्रति देयता मंदी बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पहले की अवधि के लिए व्यावसायिक लेनदेन के संबंध में है।इसके अलावा यू. पी. एस. एस. सी. एल. के नाम पर कर अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन आदेश और वसूली उद्धरण जारी किए गए हैं। इसलिए, क्या मंदी बिक्री समझौते दिनांक 17.7.2010 से पहले के लेन-देन के लिए इस तरह के दायित्व को खरीदार पर लगाया जा सकता है।

/

16. भारत अर्थ मूवर्स बनाम आयकर आयुक्त में,

कर्नाटक 1, आकस्मिक दायित्व के मुद्दे पर, न्यायमूर्ति आर. सी. लाहोटी ने अपनी राय में, जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है, तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से निम्नलिखित कहाः-

/

“4. विधि तय किया गया हैःयदि लेखा वर्ष में कोई व्यावसायिक देयता निश्चित रूप से उत्पन्न हुई है, तो कटौती की अनुज्ञात जानी चाहिए, हालांकि देयता को भविष्य की तारीख में निर्धारित और निर्वहन करना पड़ सकता है।जो बात निश्चित होनी चाहिए वह है दायित्व का वहन।यह उचित निश्चितता के साथ अनुमान लगाने में भी सक्षम होना चाहिए, हालांकि वास्तविक मात्रा निर्धारण संभव नहीं हो सकता है।यदि इन आवश्यकताओं को पूरा किया जाता

है तो देयता आकस्मिक नहीं है।देयता व्यावहारिक रूप से है, हालांकि इसे भविष्य की तारीख में निर्वहन कर दिया जाएगा।

/

/

1 (2000) 6 एससीसी 645 ए

1139

वेव उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य [ऋषिकेश रॉय, जे।] ए.

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य की तारीख जिस पर देयता का निर्वहन किया जाना है, निश्चित नहीं है। "

17. हाथ में मामले में, अमरोहा इकाई के लिए व्यावसायिक देयता निश्चित रूप से अपीलार्थी को बेचे जाने से पहले की अवधि के दौरान इकाई के संचालन से उत्पन्न हुई थी, हालांकि देयता की मात्रा निर्धारित की जानी है और भविष्य की तारीख में उसका निर्वहन किया जाना है।जब देयता उचित निश्चितता के साथ अनुमानित होने में सक्षम होती है, तो देयता को आकस्मिक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और इसे एक दायित्व के रूप में माना जाना चाहिए जिसे भविष्य की तारीख में निर्वहन किया जा सकता है।विधि में ऐसी स्थिति और प्रश्न दायित्व आकस्मिक नहीं होने के कारण, हमारे विचार में यह उस खरीदार पर नहीं लगाया जा सकता है जो दिनांक 17.7.2010 के मंदी बिक्री समझौते से पहले इकाई का संचालन नहीं कर रहा था।

/

/

18. उल्लेखनीय है कि बिक्री विलेख के खंड 9 के साथ पठित मंदी बिक्री समझौते के खंड 12.1 और 12.2 में, इकाई के संचालन और गतिविधियों के लिए खरीदार का दायित्व हस्ताक्षर की तारीख के बाद ही उत्पन्न हुआ।यह सुझाव देगा कि 17.7.2010 (हस्ताक्षर करने की तारीख) तक की अवधि में इकाई की गतिविधियों और संचालन से संबंधित बकाया, यूपीएसएससीएल की देनदारियां थीं, जबकि 17.7.2010 के बाद की अवधि के लिए इकाई की गतिविधियों और संचालन से संबंधित बकाया, खरीदार की जिम्मेदारी थी।अतः मंदी बिक्री समझौते के खंड 12.1 और 12.2 के साथ पठित बिक्री विलेख के खंड 9 में किए गए स्पष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, 17.7.2010 से पूर्व की अवधि के लिए इकाई की गतिविधियों और संचालन से संबंधित बकाया के लिए खरीदार का दायित्व अपीलार्थी पर निर्धारित नहीं किया जा सकता था क्योंकि दोनों प्रकृति में विशिष्ट हैं।इसी संदर्भ में, खंड 2.6, जो इकाई के संबंध में लंबित आकस्मिक देनदारियों और कानूनी मामलों की बात करता है, खरीदार पर लगाया जाना है और विक्रेता को इस तरह के दायित्व से मुक्त किया जाना है, मंदी

बिक्री समझौते के खंड 2.6 के अंतर्गत प्रदान की गई सामान्य शर्तें हैं और हम उनसे प्रभावित नहीं हैं।इसका कारण मंदी बिक्री समझौते में उल्लिखित विशिष्ट शर्तों में विरोधाभास है।ऐसी परिस्थितियों में, बिक्री विलेख का खंड 9 हमारी राय में विशिष्ट होने के कारण, पक्षों को नियंत्रित करेगा और मंदी बिक्री समझौते में निहित किसी भी विपरीत चीज़ को ओवरराइड करेगा।

/

/

/

/

19. इसके अलावा, बकाया के संबंध में देनदारियों के वितरण के संबंध में विशिष्ट और विस्तृत प्रावधानों को देखते हुए, जिसमें समझौते की तारीख तक लेनदेन के संबंध में शुल्क विक्रेता यानी यूपीएसएससीएल द्वारा वहन किया जाना है और खरीदार को केवल बिक्री के बाद के लेनदेन के संबंध में बकाया के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, हम सहमत होने में असमर्थ हैं।

/

1.11.2017 दिनांकित आक्षेपित आदेश के साथ, जिसमें हमारे विचार में गलती से यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बिक्री समझौते से पहले किए गए लेन-देन के लिए देनदारियों को खरीदार द्वारा वहन किया जाना है।

20. इसके अलावा, 17.7.2010 से पहले, अपीलकर्ता न तो व्यापारी था और न ही निर्माता और इसलिए, अमरोहा इकाई के संचालन के लिए संतुष्ट करने के लिए कोई कर या शुल्क दायित्व नहीं था।यह उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड है जिसने राज्य सरकार की ओर से अपने ग्राहक से सभी देय राशि एकत्र की थी और वे एकत्रित राशि को सरकारी खजाने अंतर्गत जमा करने के लिए बाध्य हैं।लेकिन उन लेन-देनों के लिए, 17.7.2010 से पहले की अवधि के लिए, यूपीएसएससीएल एकत्र की गई राशि को हड़पने की कोशिश कर रहा है और अपीलार्थी पर बोझ डालने की कोशिश कर रहा है जो न तो विक्रेता था और न ही उनका 17.7.2010 से पहले इकाई के संचालन से कोई लेना-देना था।ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी के प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति मनमाना प्रतीत होती है और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में बोलने के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता था।पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न दायित्व, आकस्मिक दायित्व नहीं होने के कारण, अपीलार्थी के कंधों पर नहीं लगाया जा सकता

है।इसलिए बोलने के क्रम में और आक्षेपित निर्णय में लिया गया विपरीत दृष्टिकोण अस्थिर पाया जाता है।तदनुसार पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़कर आक्षेपित निर्णय अपास्त करते हुए के अपील की अनुज्ञात जाती है।

/

/

/

21. 2018 की एसएलपी (सी) संख्या 4053,2018 की एसएलपी (सी) संख्या 3537 और 2018 की एसएलपी (सी) संख्या 12724 से उत्पन्न अपीलों का भी उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।

/

दिव्या पांडे और अनुराग भास्कर

अपीलों का निपटारा किया गया।

(सहायकः प्रियांशु अग्रवाल, एलसीआरए)

/

/

/